अंता पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल व भरत राठौड़ वसुंधरा से मिले

एक घंटे की चर्चा में उपचुनाव तथा संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ

- सूत्रों के अनुसार, वसुंधरा राजे पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट दिलाने के पक्ष में हैं, पर पार्टी में इस पर सहमति नहीं बन रही है।
- पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग व नन्दलाल सुमन के नाम भी चर्चा में हैं।

जयपुर, 10 अक्टूबर। अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। करीब एक घंटे चली इस बैठक में उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक अंता सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री तो राजे आवास से निकल गए, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ कुछ देर और रुके और राजे के साथ निजी बातचीत की। टिकट मंथन को लेकर हुई बैठक के बाद नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। उसके बाद नाम की घोषणा की जाएगी। मीडिया के साथ बातचीत में मदन राठौड़ ने साफ कहा, "हमारे यहां टिकट सर्वे और समन्वय के आधार पर दिया जाता है। हम जीतने वाले प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेंगे और संगठन की एकजुटता से चुनाव जीतेंगे।"

कहा जा रहा है कि अंता सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर वसुंधरा राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। अंता सीट, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है और हाड़ौती अंचल को राजे का गढ़ माना जाता है, ऐसे में उनकी साख भी इस उपचुनाव से जुड़ी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, वसुंधरा राजे पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के परिवार से किसी को टिकट दिलाने के पक्ष में हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। कंवरलाल मीणा मनोहर थाना से विधायक रहे हैं और अंता में उन्हें बाहरी माना जा रहा है। साथ ही, उनकी कथित आपराधिक छवि के चलते पार्टी भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

दूसरी तरफ, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को पार्टी का मजबूत विकल्प माना जा रहा है। जातीय समीकरणों और पहले विधायक रहने के अनुभव के चलते उनकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सैनी के नाम पर भी सहज नहीं हैं। कभी राजे के करीबी माने जाने वाले सैनी से उनके रिश्तों में हाल के वर्षों में तल्खी आई है।

अंता सीट पर स्थानीय चेहरों की मांग भी जोर पकड़ रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग और नंदलाल सुमन भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं और वे खुद को स्थानीय और स्वीकार्य प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिससे भाजपा पर दबाव और बढ़ गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व सभी संभावनाओं पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगा, लेकिन टिकट पर वसुंधरा राजे की सहमति जरूरी मानी जा रही है।

मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ, केदारनाथ में पाँच-पाँच करोड़ रूपए दिए

चमोली, 10 अक्टूबर। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को बदरीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किये और बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिरों की समिति को दोनों मंदिरों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये का दान दिया।

अंबानी ने आज पूर्वाह्न में भगवान बदरी विशाल और उसके बाद रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान केदारनाथ के दर्शन किये। उद्योगपति अंबानी के बदरीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचने पर बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उनका पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी और मफलर भेंट कर स्वागत किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी।

हिमाचल भाजपा अध्यक्ष का भाई बलात्कार के मामले में गिरफ्तार

उपचार के लिये आई युवती से क्लीनिक में दुराचार करने की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की

- सोलन के एसपी गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेगी और किसी के प्रभाव में नहीं आयेगी।

सोलन, 10 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई को रेप केस में सोलन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 25 साल की युवती ने रेप के आरोप लगाए हैं। सोलन पुलिस आरोपी राम कुमार बिंदल को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई है। सोलन एसपी गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

जानकारी के अनुसार, सोलन पुलिस ने शुक्रवार सुबह डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल (78) को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 7 अक्तूबर को एक युवती आरोपी के क्लीनिक में उपचार के लिए आई थी। उसके बाद पुराने बस स्टैंड के पास मौजूद क्लीनिक में युवती से दुराचार किया है। 25 साल की युवती ने इसकी शिकायत सोलन पुलिस को दी थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने शुक्रवार को क्लीनिक का दौरा किया है और जांच पड़ताल की है।

पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया था और अब जांच के दौरान एसएफएसएन जुन्गा की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल, तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया है।

इन सबके आधार पर, पुलिस ने 10 अक्टूबर को आरोपी रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार किया और उसे जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रही है और किसी के प्रभाव में नहीं आएगी।

ट्रंप का पत्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देती रही है। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का यह नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इस दिन स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है।

उन्होंने 1895 में की गई अपनी वसीयत में इन पुरस्कारों की घोषणा की थी।

इसके बावजूद, ट्रंप और उनके समर्थक इस निर्णय को, उनके प्रति एक जानबूझकर किया गया अपमान मान सकते हैं, खासकर तब, जब राष्ट्रपति ने इज़राइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहला चरण शुरू करवाया था।

नोबेल शांति पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, का उद्देश्य निरंतर शांति प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि यह पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, "जिसने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, स्थायी सेनाओं को समाप्त करने या कम करने, और शांति सम्मेलनों के आयोजन में सबसे अधिक या सबसे अच्छा काम किया हो।"

धीर गंभीर राजनीतिक जानकारों ने कहा कि नोबेल समिति पर ट्रंप का नाम चुनने का जबरदस्त दबाव था, लेकिन सदस्यों ने वेनेज़ुएला की नेता को इसलिए चुना, क्योंकि दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है।

यह भी देखा जा रहा है कि दक्षिणपंथी नेता लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद, संविधान और लोकतंत्र के अन्य स्तंभों, जैसे न्यायपालिका, विधायिका तथा मीडिया को कमजोर करने लगते हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह प्रवृत्ति अब स्पष्ट रूप से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र (अमेरिका) और सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत), दोनों में दिखाई दे रही है।

मंत्री सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा

- पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले की जाँच के दौरान ईडी ने यह कार्यवाही की।

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल में कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राज्यभर में 11 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।

यह कार्रवाई राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुजीत बोस से जुड़े परिसरों सहित, कई जगहों पर जारी है। ईडी सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। जिन परिसरों पर छापे मारे गए हैं, उनमें सुजीत बोस का सरकारी और निजी कार्यालय, उनसे जुड़ी कंपनियों के दफ्तर और उनके निकट सहयोगियों के घर शामिल हैं।

यह मामला उस नगरपालिका भर्ती घोटाले से संबंधित है, जिसकी जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि राज्य में भर्ती घोटाला केवल शिक्षकों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न नगरपालिकाओं में हुयी अवैध नियुक्तियों तक फैला हुआ है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में मंत्री सुजीत बोस और राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी। आज की कार्रवाई इस घोटाले की जांच के दायरे को और व्यापक बनाती दिख रही है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कुछ वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

दिल्ली एनसीआर में पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

संभावना है कि दीवाली के दौरान शर्तों पर ग्रीन पटाखों को अनुमति मिल जाये

- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि केवल एनवायरमेंट इंजीनियरों, रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाये।

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दीवाली के दौरान शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ग्रीन पटाखों के लिए अनुमति की सिफारिश करते हुए कुछ सुझाव भी दिए। सुझाव में उन्होंने कहा कि नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) की ओर से प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि लड़ी वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी जारी रहे और पीईएसओ और एनईईआरआई पटाखों के निर्माण की जगह की नियमित जांच करें, ताकि सिर्फ सही फार्मूले में ग्रीन पटाखों का निर्माण हो सके। दिल्ली सरकार ने सुझाव में यह भी कहा कि पटाखों को लेकर एक संतुलित रुख अपनाए जाने की जरूरत है। दीपावली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर ग्रीन पटाखों की इजाजत दी जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि कोर्ट चाहे तो दीपावली पर ग्रीन पटाखे रात 8 से 10 बजे तक जलाने का निर्देश दे सकता है।

न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (सीजेआई बीआर गवई) और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पूछा कि क्या साल 2018 में जब पटाखों पर रोक लगी थी, तब से अब तक आईक्यूआई में कमी आई है। तुषार मेहता ने बताया कि आईक्यूआई लगभग पहले जैसा ही है, सिर्फ कोविड के दौरान वायु गुणवत्ता सुधरी थी, लेकिन उसके दूसरे कारण थे। कुछ और वकीलों ने कहा कि पराली, वाहन प्रदूषण जैसी बातों की उपेक्षा कर सिर्फ पटाखों को निशाना बनाना गलत है।

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने हल्के-फुल्के लहजे में कहा कि बच्चों को एक घंटा तो माता-पिता को मनाने में लग जाता है कि वह पटाखे जलाने उनके साथ चलें इसलिए, त्योहार पर समय सीमा की पाबंदी नहीं रखनी चाहिए।

जुबीन के दो पीएसओ गिरफ्तार

सिलीगुडी, 10 अक्टूबर। असम पुलिस की एसआईटी टीम ने शुक्रवार को दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान नांदेश्वर बोरा और परेश बैश्य के रूप में की गयी है।

इन दोनों पीएसओ के बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पाये जाने पर उन्हें मंगलवार को निलंबित कर दिया गया था। संगीतकार की मौत मामले में वांछित सिंगापुर स्थित एक एनआरआई भी जांचकर्ताओं के सामने पेश हुआ था। लगभग एक दशक पहले प्रतिबंधित उग्रवादी समूह उल्फा की धमकी मिलने के बाद असमिया गायक जुबीन गर्ग की सुरक्षा में दोनों पुलिसकर्मियों को लगाया गया था।

- दोनों पीएसओ के बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक लेन-देन पाये जाने पर मंगलवार को उन्हें निलंबित किया गया था।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908